न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 17/2023 विविध (भरण–पोषण)

GCMS No. 2023/307

विक्रम पालीवाल पिता स्व. श्री भंवरलाल पालीवाल निवासीः 12–जी, न्यू केशव नगर, उदयपुर। हाल निवासीः 14, हॉस्पीटल रोड़, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर के सामने, उदयपुर

——— अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मेन्द्र पालीवाल पिता श्री विक्रम पालीवाल
2. श्रीमती मालिनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र पालीवाल
3. श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री विक्रम पालीवाल

——— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर(राज.) प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2023

उपस्थितः श्री विक्रम पालीवाल, अपीलाण्ट स्वयं
श्री धर्मेन्द्र पालीवाल, रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं

निर्णय

दिनांकः– 15/07/2025

अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर निर्णय दिनांक 18.09.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एक वरिष्ठ नागरिक हो सनातनी हिन्दु धर्म से व मिताक्षरा विधि से शासित है। अपीलार्थी के पिता स्व. भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में एक अचल सम्पति 12 हॉस्पीटल रोड़, उदयपुर पर अपनी निजी कमाई से क्रय की एवं उस पर अपनी निजी कमाई से मकान दुकान बनवाई। स्व. भंवरलाल की सम्पति के भाई बंटवाड़े में अपीलार्थी के पास उक्त अचल सम्पति के पश्चिम दिशा में स्थित दुकान संख्या 2 आई, तत्पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त अचल सम्पति में अपने भाई कांतिचन्द्र पालीवाल के हिस्से आई दुकान संख्या 3 को अपनी निजी आय से क्रय किया और दुकान के ऊपर हॉल व तीन कमरों का अपनी निजी आय से निर्माण करवाया। सन् 2001 के लगभग अपीलार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपना भरण–पोषण कर सके मगर वे अपीलाण्ट की बात नहीं मान रहे हैं ना ही मकान खाली कर रहे है, उल्टे अपीलाण्ट को परेशान कर रहे है। माननीय मातहत अदालत ने रेस्पोडेंटस् के विरूद्ध केवल 7,000/– रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिये जाने का आदेश निर्णय दिनांक से तो पारित कर दिया, मगर रेस्पोडेंटस् से अपीलाण्ट की सारे धोखे से हडपी सम्पतियों को दिलाये जाने व उन दस्तावेजों का निरस्तीकरण कर मकानों का कब्जा दिलाने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि विपक्षी 1 से 3 एक ही पते पर निवास करते है तथा अपीलार्थी द्वारा मूल रूप से विपक्षी संख्या 1 से अनुतोष चाहा गया है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की तामिल माना जाना स्वीकार किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा अपने बुढ़ापे के सहारे के रूप में क्रय किये गये व धोखे दान करवाकर हडपी गई सारी सम्पतियों को खाली करवाकर कब्जा रेस्पोडेंटस् से दिलाये जाने का अनुरोध किया गया था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में अपने निर्णय में किसी तरह का कोई हवाला नहीं दिया गया है और न ही किसी तरह का कोई आदेश भी पारित किया है। माननीय अदालत मातहत ने अपने आदेश में यह तो उल्लेखित किया है कि रेस्पोडेंटस् अपने पिता के साथ लड़ाई–झगड़ा, मारपीट व प्रताडित नहीं करें, बाधा कारित न करे लेकिन रेस्पोडेंट आये दिन प्रताडित व बाधाए कारित कर रहे है। रेस्पोडेंटगण की ओर जो जवाब माननीय अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया है उस जवाब में रेस्पोडेंटगण ने अत्यन्त ही गंभीर आरोप अपीलार्थी पर लगाये है तथा लगातार अपीलाण्ट को धमकिंया दी जा रही है कि उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा कर उसे जेल भिजवा देंगे। रेस्पोडेंटस् जो कि अपीलाण्ट के केशव नगर स्थित मकान में ही निवासरत है। रेस्पोडेंट संख्या 2 अपीलाण्ट को धमकी देती है कि यदि अपीलाण्ट मकान में आये तो वह आत्महत्या कर लेगी और पूरा इल्जाम अपीलाट के विरूद्ध लगाकर उन्हें जेल करा देगी। अपीलाण्ट का अभाव अभियोगं में रहना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि रेस्पोडेंट जिन्हें अपीलाण्ट ने सद्भावनावश अपने घर में रहने की इजाजत दी थी वे इस सद्भावना का दुरूपयोग कर अपीलाण्ट को ही उनके घर से बाहर निकाल कर अपीलार्थी को जीते जी मारने पर आमदा है और उन्हें तरह–तरह की धमकियां दे रहे हैं ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के मार्फत् उनसे सभी दस्तावेजों का निरस्तीकरण

जिला कलक्टर
उदयपुर

कर अपने मकान को खाली करवाकर कब्जा प्राप्त करना अपीलाण्ट के लिए नितांत आवश्यक हो गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अदालत मातहत के निर्णय में संशोधन कराकर अपीलार्थी को रेस्पोडेंटगण ने जो दान पत्र कपटपूर्वक कारित कर बदनियती से लिखवाये गये हैं, उन्हें निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त दुकानें संख्या 2 व 3 व मकान के दान पत्रों को निरस्त कर उनका रिक्त व भौतिक अधिपत्य अपीलार्थी को दिलवाया जायें। साथ ही अगर कोई व्यवधान रेस्पोडेंटगणों द्वारा किया गया या कराया गया हैं, उसे हटाया जावें। रेस्पोडेंटस् से अपीलाण्ट को उनके आवास सहित सारी सम्पतियां, जिन्हें धोखे से हडपी को अविलम्ब निरस्त करवाकर, खाली करवाकर, अपीलार्थी को कब्जा दिलाये जाने तथा अपीलार्थी को प्रतिमाह 45,000/– रुपये अपने दैनिक खान पान व आदि के लिए प्रार्थना पत्र दायरी से दिलवाने का निर्णय भी पारित फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि रेस्पोडेंटगण, अपीलाण्ट के साथ निवास कर रहे है एवं उनकी सेवा सुश्रुषा कर रहे है। अपीलाण्ट के खान–पान, रहन–सहन एवं दैनिक जीवन की सभी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति कर रहे है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 की पालना में 7000/– रुपये प्रतिमाह के बदले अपनी दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये के रुपये 15000/– प्रतिमाह का भुगतान अपीलाण्ट को किया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 को ना तो कोई बुलडोजर और ना ही कोई कार व खेत दिलवाये है। रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलाण्ट के साथ कोई कपट कारित नहीं किया है एवं नियमित रूप से भरण–पोषण कर रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाण्ट के साथ किसी तरह का कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं किया जाता, अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंट पर झूठे आरोप लगाये गये है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो द्वारा किये गये कथनो पर मनन करने के पश्चात् न्यांयालय का यह मत है कि अपीलाण्ट वरिष्ट नागरिक होकर अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की सम्पतियां रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम जरिये गिफ्ट डीड कर दी है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में संशोधन कर रेस्पोडेंटगण के पक्ष में जो दानपत्र लिखवाये गये है, उन्हें निरस्त करवाया जाकर उनका रिक्त एवं भौतिक आधिपत्य अपीलाण्ट को दिलवाये जाने एवं 45000/– प्रतिमाह भरण पोषण की राशि का भुगतान करने का अनुतोष चाहा गया है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.09.2023 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भरण–पोषण, चिकित्सा एवं दवाईयों के व्यय हेतु निर्णय दिनांक से रुपये 7000/– प्रतिमाह अपीलार्थी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा चेतक सर्किल, उदयपुर के खाता संख्या 38470341330 मे जमा कराने के आदेश दिये गये है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों का जरिये दानपत्र दान की गई सम्पत्ति को दान पत्र निरस्त कराते हुए रिक्त व भौतिक आधिपत्य प्रदान कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत धारा 23 में वर्णित प्रावधानों अनुसार दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर